रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 2, 2000/फाल्गुन 12, 1921
No. 135] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 2, 2000/PHALGUNA 12, 1921

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA

विधि, न्याय और कंपनी-कार्य मंत्रालय

(कंपनी-कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2000

सा. का. नि. 215(अ).—केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 641 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची 13 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में पारिश्रमिक और उससे संबंधित प्रविष्टियों से संबंधित भाग 2 के अनुभाग 2 के पैरा 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"1. इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, जब किसी वित्तीय वर्ष में प्रबंधकार व्यक्ति की पदावधि के चालू रहने के दौरान कंपनी को कोई लाभ नहीं होता है या उसके लाभ अपर्याप्त हैं तो वह प्रबंधकार व्यक्ति को प्रतिवर्ष 24,00,000/- रुपए की अधिकतम सीमा से अनधिक या निम्नलिखित मापमान पर संगणित प्रतिमास 2,00,000/- रुपए, वेतन, मंहगाई भत्ते, प्रतिलब्धियों और किन्हीं अन्य भत्तों के रूप में पारिश्रमिक संदत्त कर सकेगी :—

जहां कंपनी की प्रभावी पूंजी निम्नलिखित है	देय मासिक पारिश्रमिक निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा
(i) 1 करोड़ रुपए से कम	75,000 रुपए
(ii) 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक किन्तु 5 करोड़ रुपए से कम	1,00,000 रुपए
(iii) 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक किन्तु 25 करोड़ रुपए से कम	1,25,000 रुपए
(iv) 25 करोड़ रुपए या उससे अधिक किन्तु 100 करोड़ रुपए से कम	1,50,000 रुपए
(v) 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक	2,00,000 रुपए"

[फा. सं. 5/4/2000-सीएल-V]

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मुख्य अनुसूची दिनांक 10-6-1988 की सा. का. नि. सं. 559(अ) के तहत कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा अन्त:स्थापित की गई थी।

उक्त अनुसूची को निम्नलिखित के तहत संशोधित किया गया :—

(i) सा. का. नि. 784(अ) दिनांक 13-7-1988

(ii) सा. का. नि. 723(अ) दिनांक 16-9-1990

(iii) सा. का. नि. 510(अ) दिनांक 14-9-1993

(iv) सा. का. नि. 48(अ) दिनांक 1-2-1994

(v) सा. का. नि. 418(अ) दिनांक 12-9-1996

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2000

G. S. R. 215(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 641 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in Schedule XIII to the said Act, namely :—

In the said Schedule for para 1 of section II of PART II relating to remuneration and the entries related thereto, the following entries shall be substituted, namely :—

"1. Notwithstanding anything contained in this part, where in any financial year during the currency of tenure of the managerial person a company has no profits or its profits are inadequate, it may pay remuneration to a managerial person by way of salary, dearness allowance, perquisites and any other allowances, not exceeding ceiling limit of Rs. 24,00,000 per annum or Rs. 2,00,000 per month calculated on the following scale :—

Where the effective capital of Company is—	Monthly remuneration payable shall not exceed—
(i) Less than rupees 1 crore	rupees 75,000
(ii) rupees 1 crore or more but less than rupees 5 crores	rupees 1,00,000
(iii) rupees 5 crores or more but less than rupees 25 crores	rupees 1,25,000
(iv) rupees 25 crores or more but less than rupees 100 crores	rupees 1,50,000
(v) rupees 100 crores or more	rupees 2,00,000"

[File No. 5/4/2000-CL-V]

A. RAMASWAMY, Jt. Secy.

Foot Note : The principal schedule was inserted by the Companies (Amendment) Act, 1988 vide GSR No. 559(E) dated 10-06-1988.

The above schedule was amended vide :—

(i) G. S. R. 784(E), dated 13-07-1988

(ii) G. S. R. 723(E), dated 18-09-1990

(iii) G. S. R. 510(E), dated 14-07-1993

(iv) G. S. R. 48(E), dated 01-02-1994

(v) G. S. R. 418(E), dated 12-9-1996

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054